कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–स/AKAM/2022 दिनांक : 31.7.22

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा।

विषय – आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम बाबत्।
प्रसंग – शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर का पत्रांक : प.24(5)शिक्षा–6/AKAM/2021/पार्ट जयपुर, दिनांक : 28.07.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार लेख है कि आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में "हर घर तिरंगा" के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें :–

1. कोविड–19 की पालना करते हुए एवं सावधानी रखते हुए जहां भी संभव हो, 11–15 अगस्त, 2022 के बीच प्रभात फेरी आयोजित की जाए।
2. प्रत्येक विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए।
3. स्कूलों में सभी बच्चों, शिक्षको और गैर शैक्षिक कर्मचारियों को भी अपने–अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
4. राज्य के शिक्षा विभाग के कार्यालयों तथा एस.सी.ई.आर.टी., डाईट राज्य परियोजना निदेशक आदि कार्यालयों एवं सभी अधिकारियों को भी अपने–अपने घरों से राष्ट्रीय फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
5. राष्ट्रीय ध्वज से सम्बन्धित सफलता की कहानियां आजादी का अमृत महोत्सव वेब–साईट से डाउन लोड की जा सकती है।
6. विद्यालयों में तिरंगा Lighting की व्यवस्था आदि संभव हो तो की जाएं।
7. इस अभियान में निजी और सरकारी दोनों स्कूलों को जोड़ा जाना चाहिए।
8. तिरंगा के आसपास केन्द्रित कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा सकती है।
9. तिरंगा के एक विशेष पहलू को समर्पित स्कूलों मे विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाए।
10. फ्लैग पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए, प्रतियोगिता के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि फ्लैग कोड में दिए गए दिशा–निर्देशों का पालन किया जाए।
11. अभियान के दौरान बच्चों द्वारा चित्रित झंडों को हर घर तिरंगा अभियान के दौरान उनके घरों पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
12. स्कूली बच्चों और उनके माता–पिता, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर फ्लैग के साथ सेल्फी प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
13. अभियान को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए अभिभावक–शिक्षक बैठक आयोजित की जा सकती है।
14. झंडे की आपूर्ति क लिए स्कूल ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते है।
15. राष्ट्रीय ध्वज डाक घरों से निर्धारित शुल्क पर क्रय किए जा सकते है।
16. सभी स्कूल सुनिश्चित करें कि छात्र वेबसाइट पर झंडा लगाएं और वेबसाई/सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्लैग के साथ सेल्फी अपलोड करें।
17. सभी स्कूल कर्मचारियों, छात्रों को निर्देश दिया जाए कि वे "हर घर तिरंगा" वेबसाइट पर सेल्फी विद फ्लैग अपडेट करें। साथ ही, वे अपने भौगोलिक निर्देशांकों के अनुसार वेबसाईट पर झंडा लगा सकते है।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर।
5. श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल-नोडल अधिकारी, शासन उप सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन -I, कार्यालय हाजा को समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त बाबत् निर्देशित करवाने हेतु।
7. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को उल्लिखितानुसार, यथावश्यक निर्देश जारी करने एवं समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी।
10. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
11. समस्त संस्था प्रधान सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय।
12. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते